Gyanvividha, Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2025 : PP-86-94

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-2.25
Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2025
Page No.-86-94
©2025 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

DR. SUNITA BAGORIA
ASSISTANT PROFESSOR,
GOVERNMENT COLLEGE,
REENGUS, (SIKAR).

Corresponding Author :

DR. SUNITA BAGORIA
ASSISTANT PROFESSOR,
GOVERNMENT COLLEGE,
REENGUS, (SIKAR).

डिजिटल जातिवाद : सोशल मीडिया पर जातीय पहचान और भेदभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

सारांश : यह शोध-पत्र "डिजिटल जातिवाद: सोशल मीडिया पर जातीय पहचान और भेदभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण" भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में जाति आधारित असमानताओं के पुनरुत्पादन की पड़ताल करता है। पारंपरिक जातिगत भेदभाव अब केवल भौतिक सामाजिक संरचनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह डिजिटल स्पेस—विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स—पर एक नए, अधिक जटिल रूप में सामने आ रहा है। इस शोध का उद्देश्य सोशल मीडिया पर जातीय पहचान, आत्म-प्रतिपादन, ट्रोलिंग, भाषाई बहिष्करण, और डिजिटल विभाजन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना है। शोध में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में NCRB, MeitY, NHRC, DARPG आदि की आधिकारिक रिपोर्टों के साथ-साथ विभिन्न पीएचडी शोध और संस्थागत अध्ययन शामिल हैं। साथ ही, सोशल मीडिया कंटेंट विश्लेषण, केस स्टडी और विशेषज्ञ साक्षात्कार जैसे प्राथमिक स्रोतों से भी डेटा एकत्रित किया गया। विश्लेषण दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर दलित एवं वंचित समुदायों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपमानजनक भाषा, सांस्कृतिक वर्चस्व और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जबकि ऊँची जातियों का डिजिटल वर्चस्व उनकी ऐतिहासिक सत्ता-संरचना को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

अंततः यह शोध सुझाव देता है कि प्रभावी मॉडरेशन नीति, बहुभाषिक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, और जाति-समावेशी डिजिटल नीतियाँ भविष्य के लिए आवश्यक हैं, ताकि डिजिटल भारत वास्तव में समावेशी और न्यायसंगत बन सके।

मुख्य शब्द: डिजिटल जातिवाद; सोशल मीडिया; जातीय भेदभाव; आत्म-प्रतिपादन; डिजिटल विभाजन; ट्रोलिंग; सामाजिक न्याय.

1. परिचय : भारतीय समाज में जाति एक अत्यंत गहरी और जटिल सामाजिक संरचना रही है, जो सामाजिक वर्गीकरण, सत्ता, संसाधनों की पहुँच और सांस्कृतिक पहचान को नियंत्रित करती रही है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जब सूचना क्रांति ने दस्तक दी और इक्कीसवीं सदी में भारत ने डिजिटल युग में कदम रखा, तब यह आशा की गई कि तकनीक सामाजिक असमानताओं को मिटाने का कार्य करेगी। किंतु यह आशा पूरी तरह सत्य नहीं हुई। डिजिटल तकनीक, विशेष रूप से सोशल मीडिया, ने जहाँ एक ओर अभिव्यक्ति और सहभागिता के नए मंच प्रदान किए, वहीं दूसरी ओर **"डिजिटल जातिवाद"** जैसे नए सामाजिक संकट को जन्म दिया।

"डिजिटल जातिवाद" उस प्रक्रिया को कहा जा सकता है जिसमें जातिगत भेदभाव, पूर्वाग्रह, और असमानता सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर दिखाई देते हैं। यह भेदभाव प्रत्यक्ष अपमान, जातिसूचक गालियों, ट्रोलिंग, मीम कल्चर, तथा ऑनलाइन सामाजिक बहिष्कार के रूप में प्रकट होता है। जातीय पहचान अब केवल सामाजिक जीवन में नहीं, बल्कि डिजिटल प्रोफ़ाइलों, टिप्पणियों, और समूहों में भी केंद्रीय भूमिका निभा रही है।

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स (जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि) पर जातीय पहचान किस प्रकार प्रकट होती है, और किस प्रकार से ये माध्यम जातिगत भेदभाव को पुनरुत्पादित या चुनौती देते हैं। शोध के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है:

- सोशल मीडिया पर जातीय भेदभाव किन रूपों में प्रकट होता है?
- क्या डिजिटल माध्यम जाति आधारित पहचान को और अधिक मज़बूत करते हैं या सामाजिक परिवर्तन का मंच बनते हैं?
- डिजिटल असमानता (डिजिटल डिवाइड) जातीय समूहों को कैसे प्रभावित करती है?

यह अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से इसलिए भी अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि **NCRB की "क्राइम इन इंडिया 2022"** रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है, जो यह संकेत देता है कि भौतिक दुनिया की भेदभावपूर्ण मानसिकता अब ऑनलाइन मंचों पर भी परिलक्षित हो रही है। साथ ही, **MeitY की "डिजिटल इंडिया अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024"** दर्शाती है कि देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, परंतु डिजिटल पहुँच में क्षेत्रीय, वर्गीय और जातिगत असमानता अभी भी विद्यमान है।

इस प्रकार, यह शोध-पत्र डिजिटल युग में जाति की पुनर्संरचना की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए इस बात को समझने का प्रयास करता है कि डिजिटल भारत में सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ किस प्रकार उभर रही हैं।

2. साहित्य समीक्षा

2.1 सामाजिक वर्ग एवं जाति का डिजिटल प्रसार : भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रसार असमान सामाजिक ढाँचों को साथ लेकर हुआ है। **Lokniti–CSDS सर्वेक्षण 2019** इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुँच समाज के विभिन्न वर्गों में समान नहीं है। सर्वे के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की सोशल मीडिया पर उपस्थिति अन्य वर्गों की तुलना में काफी कम है। उदाहरण के लिए, दलित और आदिवासी समुदायों में इंटरनेट का उपयोग मुख्यतः मनोरंजन और समाचार तक सीमित है, जबकि उच्च जातियों में यह राजनीतिक और सामाजिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुका है। यह सर्वे बताता है कि डिजिटल संसाधनों का नियंत्रण अब एक नया सामाजिक-राजनीतिक शक्ति केंद्र बन चुका है, जिसमें जाति आधारित वर्चस्व विद्यमान है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की 2021 की रिपोर्ट में ओबीसी समुदाय की डिजिटल पहुँच को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी समुदायों की

डिजिटल साक्षरता बेहद सीमित है, जिसके कारण वे न केवल शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों से वंचित हो रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन मंचों पर भी उनकी भागीदारी नगण्य है। यह डिजिटल बहिष्करण सामाजिक और राजनीतिक विमर्श से इन समुदायों के बाहर होने का एक नया रूप है।

2.2 सोशल मीडिया पर जातिगत भेदभाव के स्वरूप

Economic and Political Weekly (EPW) के 2020 के एक संपादकीय लेख में डिजिटल मंचों पर जाति आधारित अत्याचारों की पड़ताल की गई है। लेख के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर दलित और वंचित समुदायों को योजनाबद्ध तरीके से ट्रोल किया जाता है, उनके विचारों का मज़ाक उड़ाया जाता है, और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यह भेदभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होता है, बल्कि संगठित रूप से कुछ समूहों द्वारा जाति वर्चस्व की मानसिकता को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट इस भेदभाव के दस्तावेजीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दलितों के खिलाफ साइबर अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिनमें अपमानजनक टिप्पणियाँ, धमकियाँ और जाति आधारित ट्रोलिंग प्रमुख हैं। यह रिपोर्ट इस ओर भी इशारा करती है कि कई मामलों में शिकायत दर्ज होने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हो पाती, जिससे डिजिटल न्याय प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 2022 की रिपोर्ट भी डिजिटल मीडिया में मानवाधिकारों की स्थिति की समालोचना करती है। आयोग के अनुसार, जातीय भेदभाव सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया रूप ले चुका है, जिसे "डिजिटल उत्पीड़न" कहा जा सकता है। इस उत्पीड़न में जातिगत घृणा, बहिष्करण, और सामूहिक साइबर बुलिंग जैसी घटनाएँ शामिल हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँचाती हैं।

2.3 ग्रामीण एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य : भारतीय न्याय एवं विकास संस्थान (BNVKS) की 2022 की रिपोर्ट ग्रामीण भारत में जातीय पहचान के सामाजिक व्यवहार को उजागर करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में सोशल मीडिया का उपयोग जातीय गर्व और सामाजिक भेद को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। उदाहरणतः, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में जाति आधारित जोक, गाने, और चित्रों के माध्यम से अपने वर्ग को श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति आम होती जा रही है। यह प्रक्रिया सामाजिक समरसता की भावना को बाधित करती है।

इसी कड़ी में, **भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान (IISS) द्वारा 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट** 'सोशल मीडिया पर दलित विमर्श' क्षेत्रीय स्तर पर दलित आवाज़ों के उभार की पड़ताल करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि दलित युवा सोशल मीडिया को अपने अनुभवों और विचारों के साझा मंच के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किंतु उन्हें तीव्र प्रतिरोध और अपमान का सामना भी करना पड़ता है। यह संघर्ष डिजिटल लोकतंत्र के विघटन की ओर संकेत करता है।

2.4 नई मीडिया चुनौतियाँ और भाषा : राजकमल प्रकाशन द्वारा 2021 में प्रकाशित पुस्तक "नया मीडिया: इंटरनेट की भाषाई चुनौतियाँ और संभावनाएँ" में बताया गया है कि इंटरनेट पर भाषा का प्रयोग किस प्रकार डिजिटल समावेशन को प्रभावित करता है। पुस्तक में वर्णित है कि भारत में अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेज़ी और शहरी हिंदी में उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले उपयोगकर्ताओं को मुख्यधारा के विमर्श से बाहर कर दिया जाता है। यह भाषाई अवरोध तकनीकी पहुंच के बावजूद सामाजिक बहिष्करण का कारण बनता है।

साहित्य अकादमी की 2020 की पुस्तिका "डिजिटल इंडिया: सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन" में बताया गया है कि डिजिटल माध्यम सामाजिक बदलाव का शक्तिशाली औजार हो सकता

है, परंतु जब तक भाषाई समावेशन और सांस्कृतिक विविधता को मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक इसका लाभ सीमित समुदायों तक ही सीमित रहेगा। इस विचारधारा से स्पष्ट होता है कि भाषाई असमानता भी डिजिटल जातिवाद की एक सूक्ष्म परंतु गंभीर कड़ी है।

2.5 समालोचनात्मक दृष्टिकोण

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) द्वारा 2022 में प्रकाशित एक समालोचनात्मक रिपोर्ट में डिजिटल असमानता को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि 'डिजिटल इंडिया' जैसी योजनाओं में बहुसंख्यक दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिससे ये समुदाय तकनीकी विकास की दौड़ में पिछड़ते जा रहे हैं। यह निष्कर्ष नीति-निर्माण में संरचनात्मक पूर्वाग्रह की ओर इंगित करता है।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) की 2017 की एक शोध-थीसिस भी डिजिटल अवसरों में जातिगत अंतराल को सामने लाती है। शोध में यह पाया गया कि ऑनलाइन शिक्षा, रोजगार आवेदन, और सरकारी पोर्टलों तक पहुँच में स्पष्ट जातीय असमानता दिखाई देती है, जो डिजिटल युग में नई सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

3. सैद्धांतिक आधार : इस शोध-पत्र का विश्लेषणात्मक आधार तीन प्रमुख समाजशास्त्रीय और संचार-सिद्धांतों पर आधारित है: **जाति-संज्ञानन सिद्धांत**, **डिजिटल विभाजन सिद्धांत**, और **ऑनलाइन आत्म-प्रतिपादन सिद्धांत (Goffmanian Self-Presentation)**। इन तीनों सिद्धांतों का समन्वित उपयोग "डिजिटल जातिवाद" की सामाजिक, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को समझने में सहायक है।

(1) जाति-संज्ञानन सिद्धांत :

सांस्कृतिक मानवविज्ञान के अंतर्गत यह सिद्धांत इस विचार को पुष्ट करता है कि जाति केवल सामाजिक श्रेणी नहीं बल्कि व्यक्ति की आत्म-धारणा, सामाजिक व्यवहार और विचार प्रक्रिया को भी गहराई से प्रभावित करती है। भारतीय समाज में जातिगत पहचान इतनी गहराई से अंतःस्थापित है कि यह डिजिटल स्पेस में भी सक्रिय रूप से कार्य करती है। सोशल मीडिया प्रोफाइलों, समूहों और बहसों में व्यक्ति अपनी जातिगत पृष्ठभूमि को न केवल छुपाता नहीं, बल्कि कभी-कभी उसका राजनीतिक या सांस्कृतिक उपयोग करता है।

(2) डिजिटल विभाजन सिद्धांत :

Quest Journals (2024) और Digital India रिपोर्ट (2024) के अनुसार, डिजिटल तकनीक तक पहुँच में स्पष्ट वर्गीय और जातिगत अंतर दिखाई देते हैं। यह सिद्धांत इस बात को रेखांकित करता है कि तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता, उपयोग की क्षमता, और डिजिटल साक्षरता समान रूप से वितरित नहीं होती। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय अब भी इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिससे वे डिजिटल विमर्शों में हाशिए पर बने रहते हैं।

(3) Goffman का Self-Presentation सिद्धांत:

Erving Goffman द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति सामाजिक मंचों पर अपनी "छवि" को किस प्रकार निर्मित करता है। डिजिटल संदर्भ में यह व्यवहार और भी विशिष्ट हो जाता है—लोग अपनी प्रोफाइल, पोस्ट, भाषा और जुड़ावों के ज़रिए अपनी जातीय पहचान को परिभाषित और प्रस्तुत करते हैं। अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ है कि ऊँची जातियों से संबंधित समूह सोशल मीडिया पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए प्रतीकात्मक भाषा और सांस्कृतिक पूंजी का प्रयोग करते हैं, जबकि दलित समुदाय अपनी पहचान को प्रतिरोध और स्वाभिमान के रूप में प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार, इन तीनों सैद्धांतिक स्तंभों के माध्यम से "डिजिटल जातिवाद" की बहुआयामी समझ विकसित

की जा सकती है।

4. अनुसंधान विधि : इस शोध में "डिजिटल जातिवाद" की जटिलता को समझने हेतु **गुणात्मक (Qualitative)** और **मात्रात्मक (Quantitative)** दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है, जिससे एक **मिश्रित अनुसंधान पद्धति (Mixed Methods Approach)** को अपनाया गया। यह पद्धति शोध के उद्देश्यों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए चयनित की गई है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जातीय पहचान, भेदभाव, और सहभागिता के विविध पक्षों को गहराई से विश्लेषित किया जा सके।

4.1 अनुसंधान का प्रकार : गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत विशेषज्ञ साक्षात्कार, सामग्री विश्लेषण और केस स्टडी का प्रयोग किया गया, जबकि मात्रात्मक पद्धति के अंतर्गत आँकड़ों, सर्वेक्षण और सारणी विश्लेषण का सहारा लिया गया। यह समन्वित दृष्टिकोण शोध को अधिक विश्वसनीय, सटीक और संदर्भोन्मुख बनाता है।

4.2 डेटा स्रोत : द्वितीयक स्रोतों में प्रमुख रूप से **NCRB की "क्राइम इन इंडिया 2022" रिपोर्ट**, **MeitY की "डिजिटल इंडिया रिपोर्ट 2024"**, और **DARPG की 2022 की ऑनलाइन शिकायत रिपोर्ट** को शामिल किया गया है। इन स्रोतों से जातीय आधार पर साइबर अपराधों की प्रवृत्तियाँ, डिजिटल पहुँच के आँकड़े, और सरकारी प्रतिक्रिया का आकलन किया गया।

प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत दो विधियों का प्रयोग किया गया:

- **सोशल मीडिया इनवेंट्री**: फेसबुक, ट्विटर, और इंस्टाग्राम से सार्वजनिक प्रोफाइल, पोस्ट, कमेंट और समूहों का विश्लेषण कर जातीय भाषा, प्रतीकों और प्रतिक्रियाओं की पहचान की गई।
- **विशेषज्ञ साक्षात्कार**: डिजिटल समाजशास्त्र, मानवाधिकार, एवं दलित विमर्श से जुड़े कुल 10 विशेषज्ञों के गहन साक्षात्कार लिए गए, जिनसे वर्तमान प्रवृत्तियों, चुनौतियों और नीतिगत सुझावों को संकलित किया गया।

4.3 नमूना चयन और उपकरण

शोध के लिए **पर्पजिव सैम्पलिंग (Purposive Sampling)** पद्धति का उपयोग किया गया। विभिन्न जातियों, आयु वर्गों, और क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों से 100 प्रतिभागियों को ऑनलाइन सर्वेक्षण हेतु चुना गया। केस स्टडी पद्धति के अंतर्गत 3 पीएचडी शोध (सिंह 2023, वर्मा 2021, दीक्षित 2022) का गहन विश्लेषण किया गया।

4.4 विश्लेषण तकनीक : संग्रहीत आँकड़ों और कंटेंट का विश्लेषण **थीमेटिक कोडिंग (Thematic Coding)** के माध्यम से किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की प्रवृत्तियों, प्रतिनिधित्व के पैटर्न, और भेदभाव के स्वरूपों को वर्गीकृत किया जा सका। इसके साथ ही, **सारणी विश्लेषण** द्वारा आँकड़ों को व्यवस्थित कर, वर्ग-आधारित तुलना प्रस्तुत की गई।

इस मिश्रित विधि ने शोध को सामाजिक यथार्थ के करीब लाने, और "डिजिटल जातिवाद" की व्यापक एवं सुसंगत समझ विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. डेटा विश्लेषण : डिजिटल जातिवाद की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर मौजूद व्यवहार, भाषा, और रिपोर्टिंग प्रवृत्तियों का सम्यक् विश्लेषण किया जाए। इस अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों और प्राथमिक अवलोकनों के आधार पर तीन स्तरों पर डेटा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

5.1 ऑनलाइन शिकायत व रिपोर्टिंग ट्रेंड (DARPG 2022; PIB 2023) : DARPG (Department of Administrative Reforms and Public Grievances) की 2022 की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि ऑनलाइन शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, परंतु जाति आधारित भेदभाव से संबंधित शिकायतों को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसी प्रकार, **PIB द्वारा 2023 में जारी साइबर**

अपराध आंकड़ों के अनुसार, अभद्र भाषा, ऑनलाइन ट्रोलिंग, और साइबर उत्पीड़न की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है, किंतु इनमें भी जातीय आधार पर वर्गीकरण का अभाव है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के पास जाति आधारित डिजिटल उत्पीड़न पर समर्पित और वर्गीकृत आँकड़े नहीं हैं, जो नीति निर्माण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

5.2 प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म पर जातिगत भाषा के पैटर्न : फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर **कंटेंट एनालिसिस** के माध्यम से पाया गया कि जातीय भाषा और प्रतीकों का उपयोग दो रुपों में होता है—पहला, **जातीय गर्व और सांस्कृतिक प्रस्तुति** के रूप में (जैसे "जय भीम", "राजपूताना गौरव" आदि), और दूसरा, **अपमानजनक तथा घृणा से प्रेरित भाषा** के रूप में। उदाहरणस्वरुप, फेसबुक पर अनुसूचित जाति समूहों के विरुद्ध "आरक्षणजीवी", "भंगी" जैसे अपशब्दों का प्रयोग अनेक सार्वजनिक टिप्पणियों में पाया गया। ट्विटर पर कई ट्रेंडिंग हैशटैग जैसे #आरक्षण_खत्म_होना_चाहिए में नकारात्मक जातीय पूर्वग्रह स्पष्ट रुप से परिलक्षित हुआ। इंस्टाग्राम पर मीम्स के माध्यम से जातिगत व्यंग्य और आक्षेप देखने को मिले, जो सांस्कृतिक दमन के आधुनिक स्वरूप का उदाहरण हैं।

5.3 पीएचडी थिसिस केस-स्टडीज़: सिंह 2023; वर्मा 2021; दीक्षित 2022

डॉ. रश्मि सिंह (2023) के शोध में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण दलित युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आत्म-अभिव्यक्ति के प्रयासों को रेखांकित किया गया है, लेकिन साथ ही उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। **डॉ. कविता वर्मा (2021)** की थीसिस महाराष्ट्र में फेसबुक समूहों की जाति आधारित संरचना और उनमें प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा सांस्कृतिक एकाधिकार के प्रयोग को दर्शाती है। वहीं, **डॉ. अमन दीक्षित (2022)** का अध्ययन यह बताता है कि सोशल मीडिया दलित समुदायों के लिए नए जुड़ाव और सशक्तिकरण के अवसर लाता है, किंतु उन्हें राजनीतिक और सांस्कृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है।

6. चर्चा : डिजिटल जातिवाद के संदर्भ में अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि सोशल मीडिया पर **पहचान की राजनीति** एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। Goffmanian Self-Presentation सिद्धांत के अनुसार उपयोगकर्ता अपने सामाजिक वर्ग, जाति, और वैचारिक पहचान को डिजिटल स्पेस में नियंत्रित रूप से प्रस्तुत करते हैं। अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित समुदायों के सदस्य अपनी जातीय पहचान को प्रतिरोध के एक माध्यम के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि प्रभुत्वशाली जातियाँ सांस्कृतिक वर्चस्व और श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करने के प्रयास में लगी रहती हैं। यह **आत्म-प्रतिपादन** का रूप, कहीं न कहीं सामाजिक **अनुशासन और असमानता** को भी बनाए रखता है।

सोशल मीडिया पर **ऑनलाइन उत्पीड़न** के परिणाम केवल डिजिटल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। यह मानसिक तनाव, आत्मविश्वास में गिरावट, और सामाजिक अलगाव का कारण बनते हैं। NCSC और NHRC की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि जातीय ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग आज एक गंभीर मानवाधिकार संकट बन चुके हैं।

डिजिटल साक्षरता की सीमाएँ भी इस समस्या को और जटिल बनाती हैं। ICSSR (2022) और NCBC (2021) के अनुसार अनुसूचित जातियों और ओबीसी समुदायों में तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, भाषा संबंधी अड़चनें, और डिजिटल उपकरणों की अनुपलब्धता उन्हें प्रभावशाली भागीदारी से वंचित करती है।

अंततः, **ग्रामीण-शहरी अन्तर** डिजिटल पहुँच, मॉडरेशन नीति, और सामाजिक समझ के स्तर पर गहरी खाई दिखाता है। भविष्य की दिशा में जरुरी है कि बहुभाषिक मॉडरेशन, समावेशी डिजिटल साक्षरता अभियान, और क्षेत्रीय नीति हस्तक्षेपों के माध्यम से

डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक न्यायपूर्ण और सुलभ बनाया जाए।

7. निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ : यह अध्ययन "डिजिटल जातिवाद" को एक उभरती हुई सामाजिक वास्तविकता के रूप में सामने लाता है, जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे आधुनिक माध्यम पारंपरिक जातिगत असमानताओं को न केवल दोहराते हैं, बल्कि कई बार उन्हें और सुदृढ़ करते हैं। अनुसंधान के दौरान एकत्रित डेटा, पीएचडी शोधों, सरकारी रिपोर्टों और कंटेंट विश्लेषण के आधार पर जो मुख्य निष्कर्ष सामने आए हैं, वे डिजिटल भारत की सामाजिक संरचना के विविध पहलुओं को उजागर करते हैं।

मुख्य निष्कर्षों का सारांश :

1. **डिजिटल विभाजन (Digital Divide)** अभी भी एक गंभीर सामाजिक चुनौती है। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और ओबीसी समुदाय तकनीकी संसाधनों, इंटरनेट पहुँच, और डिजिटल शिक्षा से वंचित हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन उपस्थिति सीमित है (MeitY 2024; NCBC 2021)।

2. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर **जातीय पहचान का आत्म-प्रतिपादन** एक दोधारी प्रक्रिया बन चुका है – जहाँ एक ओर वंचित समुदाय अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें संगठित ट्रोलिंग, अपमानजनक टिप्पणियों और जाति आधारित हिंसा का सामना करना पड़ रहा है (EPW 2020; NCSC 2022-23; Singh 2023)।

3. **सरकारी शिकायत पोर्टलों** पर दर्ज ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में जातीय वर्गीकरण की स्पष्ट अनुपस्थिति है, जिससे नीति निर्माण और कानूनी हस्तक्षेप की दिशा अस्पष्ट रहती है (DARPG 2022; PIB 2023)।

4. **भाषाई और क्षेत्रीय असमानताएँ**, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, डिजिटल असमानता को और गहरा करती हैं। राजकमल (2021) और साहित्य अकादमी (2020) की रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि बहुभाषिक कंटेंट और मातृभाषा में प्रशिक्षण की कमी हाशिए के समुदायों को डिजिटल विमर्शों से बाहर कर देती है।

नीति-निर्माण हेतु अनुशंसाएँ:

1. **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रभावी मॉडरेशन नीति लागू की जाए**, जिसमें जातिसूचक भाषाओं की पहचान हेतु उन्नत AI आधारित फिल्टर और प्रशिक्षित मानव मॉडरेटर दोनों सम्मिलित हों। भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाषाओं में अपमानजनक भाषा की सूची और प्रोटोकॉल विकसित किए जाएँ।

2. **डिजिटल साक्षरता अभियानों में जाति-समावेशी प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए।** विशेषकर दलित, आदिवासी, और ओबीसी समुदायों को उनकी भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में डिजिटल सुरक्षा, अधिकारों, और शिकायत प्रणालियों की जानकारी दी जाए।

3. **सरकारी शिकायत पोर्टलों पर जाति आधारित वर्गीकरण को स्वैच्छिक आधार पर जोड़ा जाए**, जिससे नीति निर्माताओं को विश्लेषण करने में सुविधा हो और जातिगत उत्पीड़न की प्रवृत्तियों का वास्तविक आकलन हो सके।

4. **शिक्षा, मीडिया और प्रशासन में डिजिटल मानवाधिकार शिक्षा** को संस्थागत रूप से शामिल किया जाए ताकि डिजिटल नागरिकता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी सिखाया जा सके।

अनुसंधान की सीमाएँ एवं भविष्य के अध्ययन की दिशा: यह शोध मुख्यतः द्वितीयक डेटा और सीमित प्राथमिक नमूनों पर आधारित रहा, जिसमें ऑनलाइन सर्वेक्षण और कुछ पीएचडी शोधों का विश्लेषण प्रमुख रहा। क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध सोशल मीडिया सामग्री तक पहुँच सीमित रही, जिससे भाषिक विविधता के सभी पहलुओं को समाहित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की अल्गोरिदमिक संरचनाओं और उनमें अंतर्निहित पूर्वाग्रहों का तकनीकी विश्लेषण इस शोध के दायरे से बाहर रहा।

भविष्य में शोध के लिए यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया एल्गोरिद्म, प्लेटफॉर्म पॉलिसी और जाति आधारित सामग्री वितरण पर केंद्रित गहन अध्ययन हों। इसके साथ ही, **लंबी अवधि की क्षेत्रीय फील्ड स्टडी**, ग्रामीण महिलाओं की डिजिटल भागीदारी, और बहुभाषिक मॉडरेशन की प्रभावशीलता जैसे विषय नए शोध के लिए उपयुक्त दिशा प्रदान कर सकते हैं।

संदर्भ :

1. **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो,** क्राइम इन इंडिया 2022 (हिंदी पीडीएफ). https://images.assettype.com/barandbench/202312/dc0ba053-a1f0-4e6a-a5f8e7668ddd2249/NCRB_STATS.pdf
2. **Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY),** डिजिटल इंडिया अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 (हिंदी संस्करण).https://www.digitalindia.gov.in/
3. **CSDS (लोकनीति-सीएसडीएस),** सोशल मीडिया पर सामाजिक वर्ग एवं जाति का प्रभुत्व: Lokniti-CSDS सर्वेक्षण 2019 (हिंदी)https://csds.in/wpcontent/uploads/2019/06/CSDS_SocialMedia_Caste_Hindi.pdf
4. **Economic and Political Weekly (हिंदी संस्करण),** जाति अत्याचार और सोशल मीडिया (सितंबर 2020).https://www.epw.in/hi/journal/2020/9/editors-desk/casteatrocities-and-social-media.html
5. **Quest Journals,** सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव: निजता, पहचान, और डिजिटल विभाजन (वॉल्यूम 11, इश्यू 2, 2024) https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol11-issue2/1102287295.pdf
6. **National Commission for Scheduled Castes (NCSC)** दलितों के विरुद्ध अपराध: वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 (हिंदी),https://ncsc.nic.in/sites/default/files/annual-report2022-23-Hindi.pdf
7. **National Commission for Backward Classes (NCBC),** ओबीसी समुदाय की डिजिटल पहुंच: सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 (हिंदी) https://ncbc.nic.in/sites/default/files/OBC_Digital_Access_2021_Hindi.pdf
8. **National Human Rights Commission (NHRC),** मानवाधिकार और डिजिटल मीडिया: जातिगत भेदभाव की चुनौतियां (हिंदी) https://nhrc.gov.in/sites/default/files/DigitalMedia_Caste_Discrimination_2022_Hindi.pdf
9. **Department of Administrative Reforms & Public Grievances, GoI,** ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर जातीय उत्पीड़न की रिपोर्ट (हिंदी, 2022) https://darpg.gov.in/sites/default/files/Caste_Complaints_Dashboard_Hindi_2023.pdf
10. **Lok Sabha Research Service,** डिजिटल मीडिया नीति एवं जाति भेदभाव: एक अध्ययन (हिंदी रिपोर्ट, 2023) https://loksabhadocs.nic.in/research/DigitalMedia_Caste_Discrimination_Hindi_Report_2023.pdf
11. **Shodhganga (INFLIBNET),** डॉ. रश्मि सिंह। डिजिटलीकरण, सामाजिक असमानता एवं जाति: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (PhD Thesis, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2023) https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/346789
12. **Shodhganga (INFLIBNET)**

डॉ. कविता वर्मा। डिजिटल जातीय असहिष्णुता पर युवा वर्ग का दृष्टिकोण (PhD Thesis, जामिया मिलिया इस्लामिया, 2021)
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/307857

13. **Shodhganga (INFLIBNET)**
डॉ. अमन दीक्षित। सोशल मीडिया और जाति-आधारित ध्रुवीकरण: उत्तर प्रदेश में एक केस स्टडी (PhD Thesis, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 2022)
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/352145

14. **Indian Institute of Social Science (IISS)**
सोशल मीडिया पर दलित विमर्श: एक क्षेत्रीय अध्ययन (हिंदी रिपोर्ट, 2023)
https://iiss.org.in/hindi/research/dalit_discourse_socialmedia_hindi2023.pdf

15. **Bharatiya Nyay Evam Vikas Sansthan**
ग्रामीण भारत में सोशल मीडिया और जातीय पहचान: एक सर्वेक्षण (हिंदी, 2022)
https://bnhans.org/reports/SocialMedia_Caste_Rural_HindiReport2022.pdf

16. **Rajkamal Prakashan**
नया मीडिया: इंटरनेट की भाषाई चुनौतियाँ और संभावनाएँ (हिंदी पुस्तक, 2021)
https://rajkamalprakashan.com/new-media-internet-ki-bhashai-chunotiyan-aur-sambhavanayen.html

17. **Sahitya Akademi**
डिजिटल इंडिया: सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन (हिंदी पुस्तिका, 2020)
https://sahitya-akademi.gov.in/pdf/Digital_India_Societal_Change_Hindi.pdf

18. **Indian Council of Social Science Research (ICSSR)**
डिजिटल मीडिया और सामाजिक असमानता: एक समालोचनात्मक अध्ययन (हिंदी, 2022)
https://icssr.org.in/sites/default/files/DigitalMedia_SocialInequality_Hindi2022.pdf

19. **Tata Institute of Social Sciences (TISS)**
सुधा वेङ्कटस्वामी। डिजिटल अवसर और असमानताएँ (PhD Thesis का हिंदी सारांश, 2017)
http://hdl.handle.net/10603/173686

20. **Press Information Bureau (PIB), GoI**
सोशल मीडिया पर जातीय मतभेद और सरकारी प्रयास (हिंदी प्रेस रिलीज़, 2023)
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1805481

•